भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1199

सोमवार, 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक)

ईपीएफओ का पे-रोल डाटा

1199. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के त्रैमासिक अनंतिम पे-रोल डाटा को जारी किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछली तिमाही के दौरान नामांकित नए सदस्यों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या पिछली तिमाही के दौरान बड़ी संख्या में नई महिला सदस्य शामिल हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पे-रोल डाटा में नए प्रवेशकों की संख्या अधिक दर्शाई है; और

(ङ) क्या सरकार का बेरोजगार व्यक्तियों को कोई बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अप्रैल, 2018 (सितम्बर, 2017 से आगे की अवधि के लिए) से प्रत्येक माह की 20 तारीख को अपना पे-रोल डाटा प्रकाशित करता आ रहा है, जिसके तहत आधार सत्यापित सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) के माध्यम से पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में शामिल होने वाले अभिदाताओं की संख्या, बाहर निकलने वाले मौजूदा अभिदाता और पूर्व में छोड़ चुके अभिदाताओं को निवल पे-रोल पर पहुंचने की सूचना दी जाती है। सितंबर, 2023 माह के नवीनतम प्रकाशित पे-रोल (20 नवंबर, 2023) के अनुसार, पिछली तिमाही के महीनों (जुलाई, 2023 से सितंबर, 2023 तक के वेतन माह) के लिए नए ईपीएफ अभिदाताओं के नामांकन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। पिछली तिमाही के दौरान नामांकित नई महिला ईपीएफ ग्राहकों की संचयी संख्या 7,63,687 है । नवीनतम पे-रोल रिपोर्ट के

जारी...2/-

अनुसार, नए ईपीएफ अभिदाताओं की काफी अधिक संख्या विशेषज्ञ सेवाओं (38 प्रतिशत), व्यापार-वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, भवन एवं सन्निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं सामान्य इंजीनियरिंग उत्पादों, इंजीनियर्स-इंजीनियरिंग ठेकेदारों से जुड़े प्रतिष्ठानों में नामांकित की गई है।

नोट: ईपीएफओ द्वारा प्रकाशित निवल पे-रोल डेटा अनंतिम है, क्योंकि कर्मचारियों के रिकॉर्ड का अद्यतनीकरण एक सतत प्रक्रिया है और यह अनुवर्ती माह में अद्यतन हो जाता है।

(ङ): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत पात्रता शर्तों के अध्यधीन बेरोजगारी लाभ का भुगतान उन बीमाकृत कामगारों को किया जाता है जो अपनी नौकरी खो देते हैं। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक आय के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, साथ ही, बीमित कामगारों हेतु लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट प्रदान की गई है।

*   *****

<u>अनुबंध</u>

ईपीएफओ के पे-रोल डेटा के संबंध में माननीय सांसद श्री सुधीर गुप्ता, श्री प्रतापराव जाधव, श्री धैर्यशील संभाजीराव माने, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री श्रीरंग अप्पा बारणे द्वारा दिनांक 11.12.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1199 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**पिछली तिमाही (जुलाई, 2023 से सितंबर, 2023) के दौरान नामांकित नए ईपीएफ अभिदाताओं की संचयी संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	469
2	आंध्र प्रदेश	65484
3	अरुणाचल प्रदेश	788
4	असम	17372
5	बिहार	30856
6	चंडीगढ़	29995
7	छत्तीसगढ	29137
8	दिल्ली	201421
9	गोवा	11928
10	गुजरात	227660
11	हरियाणा	201380
12	हिमाचल प्रदेश	20730
13	जम्मू और कश्मीर	9067
14	झारखंड	25757
15	कर्नाटक	325430
16	केरल	49852
17	लद्दाख	79
18	मध्य प्रदेश	73295
19	महाराष्ट्र	574391
20	मणिपुर	540
21	मेघालय	1202
22	मिजोरम	114
23	नागालैंड	387
24	ओडिशा	42672
25	पंजाब	35785
26	राजस्थान	105264
27	तमिलनाडु	325689
28	तेलंगाना	200347
29	त्रिपुरा	1002
30	उत्तर प्रदेश	160162
31	उत्तराखंड	40045
32	पश्चिम बंगाल	117536
	कुल	**2925836**

*****